SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

महिलाओं के आर्थिक स्थिति के उन्नयन में स्व–सहायता समूह की भूमिका

डॉ० कोमल प्रसाद

Ph.D. (Economics), Guru Ghasidas Vishwavidyalaya

शोध सार

'स्व–सहायता समूह' एक ऐसा माध्यम बनकर उभरा है जिसके जरिए महिलाएँ अपने समय का समुचित उपयोग कर आर्थिक और मानसिक रूप से स्वावलंबी बन रही हैं। ग्रामीण महिलाएँ इन समूहों से जुड़कर न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, बल्कि इससे उनमें स्वावलंबन की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। स्व–सहायता समूह कार्यक्रम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बनकर ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस कार्यक्रम की वजह से महिलाओं की स्थिति एवं दशा में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। स्व–सहायता समूह के जरिए लघु वित्त प्राप्त करके महिलाएँ गरीबी, बेरोजगारी एवं निरक्षरता के चक्रव्यूह से निकलकर महिलाएँ सशक्तिकरण की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

स्वयंसेवी संगठन एवं स्व–सहायता समूह की गतिविधियों से केवल महिलाओं के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण समुदाय में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। उनमें एक अच्छी परम्पराएँ विकसित होने के साथ–साथ उनकी आजीविका भी सुदृढ़ हुई है। अब ग्रामीण लोग मानने लगे हैं कि कुरीतियाँ उनके सामाजिक एवं आर्थिक विकास में बाधक हैं और उनका यह मानना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है।

छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली जिले में महिला स्व–सहायता समूह का अध्ययन प्रासंगिक है। प्रस्तुत शोध अध्ययन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक स्थिति के उन्नयन में स्व–सहायता समूह की भूमिका का अध्ययन कर कमियों और विकास को रेखांकित कर उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करना है। अतः अध्ययन मुंगेली जिले के विशेष संदर्भ पर आधारित है। इस शोध पत्र के उद्देश्य के प्राप्ति हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

शब्द कुंजी

स्व–सहायता समूह, महिलाओं की आर्थिक स्थिति, लाभ, बैंक खाता, गतिविधियां, व्यावसायिक संरचनाएं

प्रस्तावना

भारत की 75 प्रतिशत महिलाएँ ग्रामीण परिवेश में निवास करती हैं तथा अपना जीवनयापन करने के लिए ग्रामीण परिवेश में उत्पन्न रोजगार के स्त्रोतों पर ही निर्भर रहती है परंतु ग्रामीण महिलाएँ इन रोजगारों का भी उचित प्रयोग नहीं कर पा रही हैं। इसका कारण यह है कि ग्रामीण परिवेश में महिलाओं को रूढ़िवादी तत्वों द्वारा शिक्षा से वंचित रखा गया है, जिनके कारण उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है। इसका परिणाम यह हुआ कि ग्रामीण महिलाओं में शिक्षा की कमी तथा गरीबी बढ़ती चली गई। महिलाएँ पूर्ण रूप से पुरूषों की आय पर निर्भर हो गई और उनमें आत्मविश्वास की कमी आ गई जिससे महिलाएँ केवल घरों में रसोई तथा बच्चों के लालन–पालन तक सीमित रह गई और रोजगार स्वरूप केवल खेतिहर मजदूर तक ही सीमित हो गई परिणामस्वरूप ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति निम्न स्तर पर पहुँच गई। स्व–सहायता समूह के निर्माण की योजना ने ग्रामीण भारत की तस्वीर ही बदल दी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके जरिए आज न सिर्फ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है

बल्कि ये समूह सामाजिक कुरीतियों, नारी उत्पीड़न तथा ऊँच–नीच को मिटाने में भी कारगर भूमिका निभा रहे हैं।

साहित्य का पुनरावलोकन

- **गौरव जोशी (2019)** ने अपने शोध 'भारत में माइक्रोफाईनेंस कार्यक्रम में महिलाओं के स्वयं–सहायता समूह की भागीदारी के विश्लेषण' में यह पाया कि भारत में वित्त व्यवस्था के माध्यम से स्व–सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधरी है तथा आसान प्रणाली से वित्त की व्यवस्था हो पा रही है जिससे महिलाओं का विकास हो पा रहा है।
- **कु. निशा (2016)** ने अपने शोध कार्य छत्तीसगढ़ में जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास में स्व–सहायता समूह का योगदान पर केन्द्रित रखा। अध्ययन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले का नगरी विकासखण्ड था। इनका यह शोध कार्य प्राथमिक समंकों पर आधारित था।
- **द मैनेजमेंट अकाउंटेंट (2015)** ने अपनी रिपोर्ट में माना कि स्व–सहायता समूह उन महिलाओं के लिए सबसे लाभकारी है जिन महिलाओं के पास बैंकिंग क्षेत्र या तंत्र के बारे में जानकारी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि स्व–सहायता समूह द्वारा चलाए जाने वाले सूक्ष्म वित्त की सुविधा से गरीब व्यक्ति भी आसानी से ऋण प्राप्त कर सकता है तथा उसे वापस चुका सकता है। रिपोर्ट ने यह भी माना है कि सूक्ष्म वित्त से बचत की प्रवृत्ति में भी वृद्धि होती है।
- **कृष्णा सुजोय (2014)** ने अपने शोध कार्य को असम राज्य पर केन्द्रित किया। इन्होंने अपने शोध कार्य में स्व–सहायता समूहों की सामाजिक कुरीतियों के बहिष्कार में भूमिका पर अध्ययन किया। इन्होंने अपने शोध कार्य में काई वर्ग परीक्षण का मुख्यतः उपयोग किया है। शोध में इन्होंने पाया कि स्व–सहायता समूहों के सदस्य बनने के पश्चात् महिलाओं में सामाजिक कुरीतियों को बहिष्कार करने की शक्ति है तथा स्व–सहायता समूह महिलाओं को रूढ़िवादी संस्कृति जैसे

महिलाओं का घर तक ही सीमित रहना तथा घर चलाने के लिए पुरूष पर निर्भर रहना आदि के बहिष्कार में मुख्य भूमिका निभाई है।

- **मथाली, एस० आई० विजयरानी, के० (2012)** ने 'तमिलनाडू की महिला सशक्तिकरण योजनाओं का विस्तार' का अध्ययन किया है। इन्होंने अध्ययन में पाया कि महिलाओं को सामूहिक रूप से आगे बढ़ने और विकास करने के उद्देश्य से स्व–सहायता समूहों के गठन की अवधारणा का विस्तार हुआ है जिससे गरीबों में से भी सबसे ज्यादा गरीब लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

शोध अध्ययन की प्रविधि

प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षणात्मक शोध विधि का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन सविचार निदर्शन विधि से किया गया है। अध्ययन में स्तरीकृत दैव निदर्शन विधि द्वारा मुंगेली जिले का चयन किया गया है। अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार अनुसूची उपकरण तथा प्रत्यक्ष अवलोकन विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध का उद्देश्य

स्व सहायता समूह में संलग्न महिलाओं की आपसी सहभागिता तथा उनके आर्थिक विकास का विश्लेषण कर स्व सहायता समूह की कार्यविधि का पूर्व एवं पश्चात का अध्ययन करना।

शोध परिकल्पना

संलग्न महिलाओं के सहभागिता से आर्थिक विकास हुआ और महिला स्व सहायता समूह की कार्यविधि महत्वपूर्ण रहा है।

आंकड़ों का संकलन

प्रस्तुत शोध अध्ययन प्राथमिक स्त्रोत (प्राथमिक समंक) पर आधारित है तथा आवश्यकता पड़ने पर द्वितीयक स्त्रोत के माध्यम से समंकों का संकलन किया गया है। शोध में द्वितीय समंक हेतु जिलों में स्थापित जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिका, सरकारी तथा गैर सरकारी बैंक, महिला बाल विकास विभाग आदि के माध्यम से समंकों को संकलित किया गया है। इसके अतिरिक्त शासकीय प्रलेखों, प्रतिवेदनों, शोध पत्रों, ग्रंथालय, शोध से संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, वेबसाइट्स का उपयोग किया गया है।

महिला सशक्तिकरण में स्व–सहायता समूह की भूमिका

स्व–सहायता समूह में महिलाओं की सदस्यता एवं भागीदारी से महिलाओं के जीवन में वांछित सकारात्मक परिवर्तन आया है क्योंकि स्व–सहायता समूह का सिद्धांत ही है, निर्धनों एवं हाशिए के समाज को सशक्त करना। समूह निश्चित रूप से महिलाओं के अंदर समूह भावना एवं प्रचुर आत्मविश्वास का संचार करता है। स्व–सहायता समूह महिलाओं के अंदर उस आत्मविश्वास एवं कौशल को उत्पन्न करता है जिसकी सहायता से महिलाएँ उद्यमशीलता एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता को प्राप्त करती हैं। जिन उपलब्धियों को प्राप्त करने में महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से कठिनाईयाँ सहनी पड़ती हैं, उन्हीं उपलब्धियों को वे समूह के सदस्य के तौर पर सामूहिकता एवं पारस्परिक सहयोग से प्राप्त कर लेती हैं। समूह के सदस्य बनने से महिलाओं का सामाजिक दायरा बढ़ता है जिससे महिलाओं के अंदर समाज में आर्थिक, राजनैतिक एवं सामाजिक निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। स्व–सहायता समूह द्वारा महिलाओं को विविध कौशल विकास एवं स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। इन कौशल विकास कार्यक्रमों से महिलाओं को स्वरोजगार की प्राप्ति होती है जिससे उनकी आय, बचत, व्यय आदि बढ़ती है तथा वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं। इसके साथ–साथ पारिवारिक आय में भी अपना

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

योगदान कर पाती हैं। इन सब का समन्वित परिणाम यह होता है कि उनकी सामाजिक प्रस्थिति में बदलाव आता है तथा उनका सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण होता है। अन्य कई देशों में भी स्व–सहायता समूह महिला सशक्तिकरण में एक प्रभावी उपकरण के रूप में रहा है। अतः निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि स्व–सहायता समूह महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक सशक्तिकरण में अत्यन्त ही महत्वपूर्ण तथा प्रभावी है।

स्व–सहायता समूह बनाने का मुख्य उद्देश्य–

स्व–सहायता समूह बनाने के निम्नलिखित उद्देश्य है–

- ग्रामीण गरीबों के मध्य संगठन की भावनाओं को सशक्त करना।
- समूह के सदस्योंमें बचत की आदत डालना।
- सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया से जोड़ना।
- अपनी क्षमता अनुसार धन बचत करना और छोटी–छोटी बचतों के माध्यम से सामूहिक पूँजी का निर्माण करना।
- अपने छोटे–छोटे ऋण की आवश्यकता की पूर्ति समूह से करना एवं लिए गए ऋण को नियत समय पर वापस करना।
- एक–दूसरे की मदद से सदस्यों तथा समुदाय की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को सुलझाना।
- ग्रामीण निर्धनों एवं बैंकों के बीच पारस्परिक विश्वसनीयता एवं आत्मविश्वास कायम करना।
- महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना।
- गरीबों में साख क्षमता को बढ़ावा।
- महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

महिला स्व–सहायता समूह के सामाजिक एवं आर्थिक लाभ–

An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

- स्व–सहायता समूह से जुड़े महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक समस्याओं के निराकरण में मार्गदर्शन मिलती है।
- बचत ही विकास का पहला कदम है। नियमित बचत के द्वारा ही प्रत्येक सदस्य को आर्थिक स्तर पर स्वावलंबी बनाया जा सकता है।
- सदस्यों को छोटे ऋण स्व–सहायता समूह के माध्यम से आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ऋण किसी भी कार्य के लिए जैसे बीमारी के इलाज, कृषि कार्य, शादी, त्यौहार, व्यवसाय आदि के लिए हो सकता है।
- समूह को बैंक से ऋण मिलने में आसानी होती है।
- समूह से सहयोग की भावना, आपसी विश्वास क्षमता तथा आत्मनिर्भरता का विकास संभव होता है।
- समूह के द्वारा समूह सदस्यों को छोटे रोजगार संबंधी जानकारी एव मार्गदर्शन मिलता है।
- स्वयं के सर्वांगीण विकास के साथ–साथ बाद में सहभागिता द्वारा गाँव का भी विकास संभव है।

स्व–सहायता समूह का सदस्य बनने के पश्चात् बैंक खाते की स्थिति में सुधार का विश्लेषण

तालिकाः बैंक खाते की स्थिति में सुधार का विवरण

बैक खाते की स्थिति में सुधार	समूह के सदस्य बनने से पूर्व उत्तरदाताओं की संख्या	समूह के सदस्य बनने से पश्चात् उत्तरदाताओं की संख्या	खातों की संख्या में वृद्धि	निष्कर्ष
हाँ	137	363	226	47.9% खाताधारकों की संख्या में वृद्धि
नहीं	263	37	-226	

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर दिसंबर 2022

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

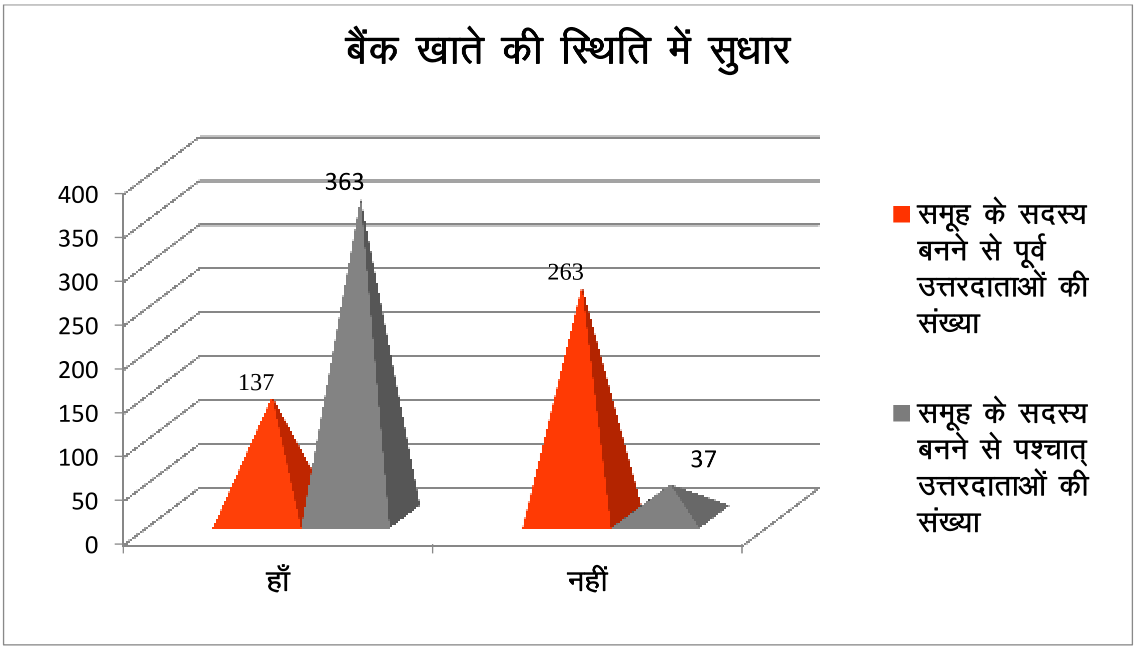

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि स्व–सहायता समूह के सदस्य बनने के पहले 137 सदस्य ऐसे थे जिनका अपना स्वयं का बैंक खाता था वहीं समूह के सदस्य बनने के पश्चात् 363 सदस्य ऐसे थे जिनका स्वयं का बैंक खाता था अर्थात् सदस्यता से पूर्व एवं पश्चात् बैक खातों में 226 सदस्यों की वृद्धि आई है अर्थात् 47.9 प्रतिशत खाताधारकों की संख्या में वृद्धि हुई है। सदस्यों के स्वयं के बैंक खाता होने का लाभ यह होता है कि सदस्यों को सरकार द्वारा प्राप्त अंशदान या आर्थिक सहायता तथा बैंकों से प्राप्त ऋण की राशि सीधा महिला सदस्यों के बैंक खाते में प्रदान की जा सकती है।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

व्यावसायिक संरचना में सुधार का विवरण

तालिकाः व्यावसायिक संरचना में सुधार का विवरण

व्यवसाय	सदस्यता से पूर्व सदस्यों की संख्या	सदस्यता के पश्चात् सदस्यों की संख्या	आत्मविश्वासी महिलाओं की संख्या में परिवर्तन	सुधार
केवल गृहकार्य	177	31	-146	कमी
कृषि श्रमिक	133	100	-33	कमी
कृषि (स्वयं के खेत में)	67	97	30	वृद्धि
स्वरोजगार	23	172	149	वृद्धि
कुल	**400**	**400**		

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर दिसंबर 2022

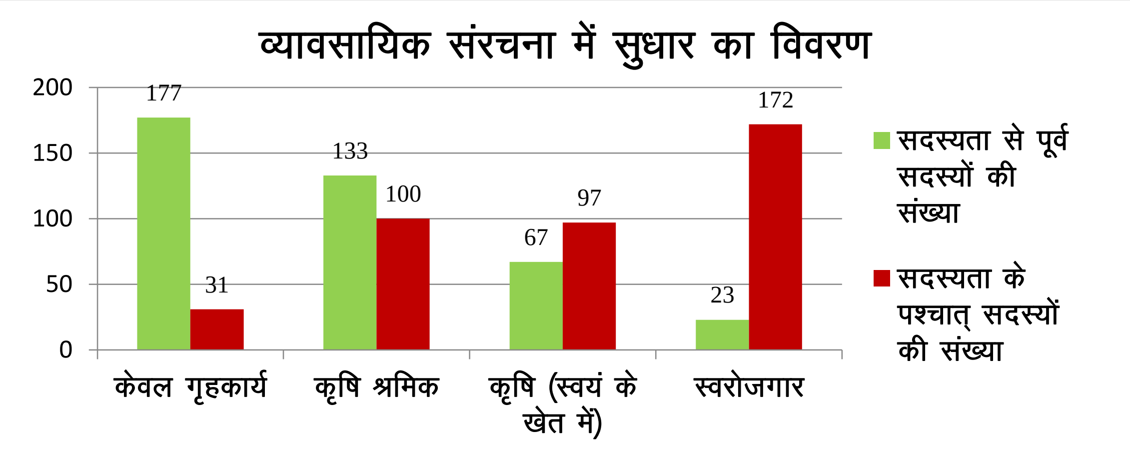

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि स्व–सहायता समूह में जुड़ने के पूर्व 177 महिला सदस्य केवल गृहकार्य में संलग्न थे परंतु समूह के सदस्य बनने के पश्चात् इनकी संख्या कम होकर 31 हो गई तथा कृषि श्रमिक के समूह की सदस्यता के पूर्व कुल 133 महिला सदस्य संलग्न थी परंतु समूह की सदस्यता के पश्चात् कम होकर 100 हो गई। वहीं कृषि कार्य में समूह की सदस्य सदस्यता से पूर्व कुल 67 महिला सदस्य संलग्न थी परंतु समूह की सदस्यता के पश्चात् इनकी संख्या में वृद्धि होकर 97 हो गई है और वहीं स्वरोजगार की बात करें तो समूह के सदस्यता से पूर्व

Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

महिला सदस्यों की संख्या 23 थी परंतु समूह की सदस्यता के पश्चात् इनकी संख्या में काफी ज्यादा वृद्धि दिखाई दी है। यह बढ़कर 172 हो गई है। यह वृद्धि महिलाओं के विकास को इंगित करता है एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाता है।

स्व–सहायता समूहों के महिलाओं की मासिक आय में सुधार का विवरण स्व–सहायता समूह के सदस्य बनने के पूर्व और पश्चात् के मध्य अंतर

तालिकाः मासिक आय में सुधार का विवरण

व्यवसाय	सदस्यता से पूर्व सदस्यों की संख्या	सदस्यता के पश्चात् सदस्यों की संख्या	आत्मविश्वासी महिलाओं की संख्या में परिवर्तन	सुधार
2000 या कम	160	80	-80	कमी
2001 से 3000	113	110	-3	कमी
3001 से 4000	84	99	15	वृद्धि
4001 से 5000	28	71	43	वृद्धि
5001 से अधिक	15	40	25	वृद्धि
कुल	**400**	**400**		

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर दिसंबर 2022

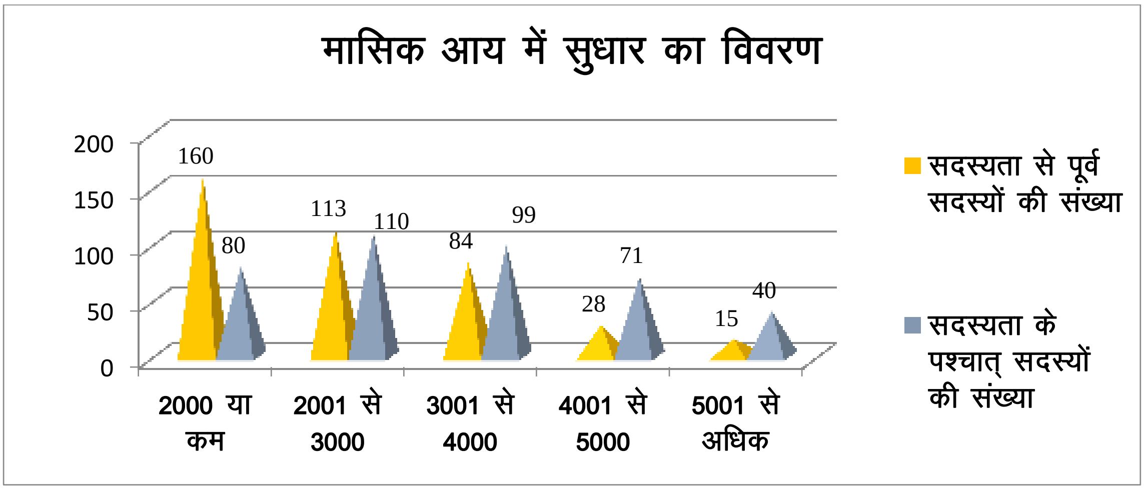

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि स्व–सहायता समूह के सदस्य बनने के बाद महिलाओं अर्थात् उत्तरदाताओं की आय में अंतर या सुधार आया है अर्थात् 3001 रूपये से 4000 रूपये के बीच आय वाले उत्तरदाताओं की संख्या में 15 प्रतिशत की वृद्धि आई है वहीं 4001 रूपये से 5000 रूपये के आय वाले उत्तरदाताओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि 43 प्रतिशत हुई है तथा 5001 रूपये से अधिक आय वाले उत्तरदाताओं की संख्या में भी निम्न वृद्धि देखने को मिलता है जिनकी संख्या 25 प्रतिशत है। इससे स्पष्ट होता है कि स्व–सहायता समूह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में एक निर्णायक भूमिका निभा रहा है। साथ ही साथ स्व–सहायता समूह महिला सदस्यों के सशक्तिकरण को भी गति प्रदान कर रहा है।

स्व–सहायता समूहों की महिलाओं की वार्षिक बचत राशि मे सुधार का विवरण–(समूह के सदस्य बनने के पूर्व एवं सदस्य बनने के पश्चात् के मध्य अंतर)–

तालिकाः वार्षिक बचत में सुधार का विवरण

वार्षिक बचत (रू०)	सदस्यता से पूर्व सदस्यों की संख्या	सदस्यता के पश्चात् सदस्यों की संख्या	आत्मविश्वासी महिलाओं की संख्या में परिवर्तन	सुधार
2000 से कम	144	30	-114	कमी
2000 से 4000	50	45	-5	कमी
4000 से 6000	18	84	66	वृद्धि
6000 से 8000	7	90	83	वृद्धि
8000 से अधिक	9	126	117	वृद्धि
कोई बचत नहीं	172	25	-147	कमी
कुल	**400**	**400**		

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर दिसंबर 2022

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

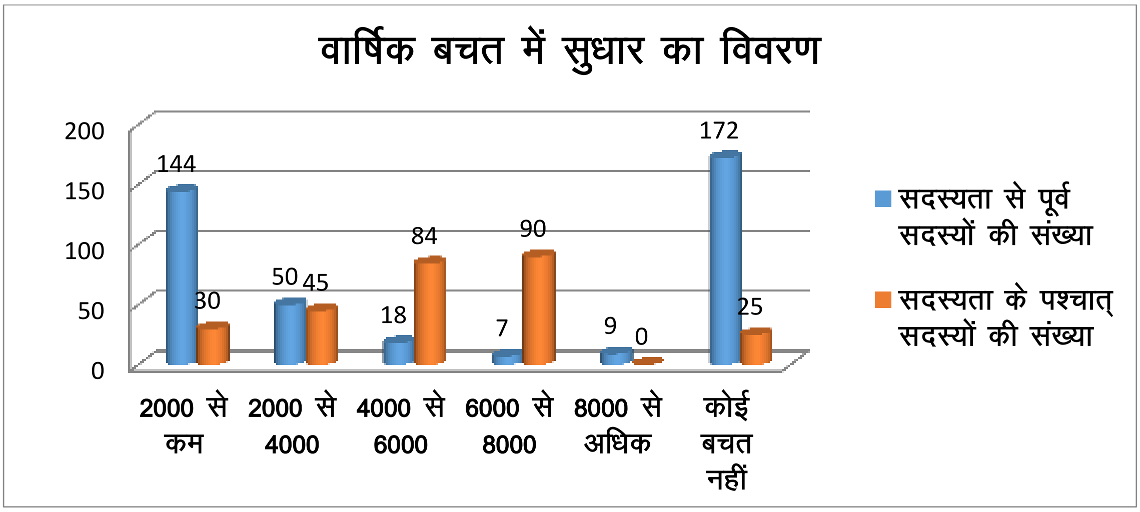

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि कुल 400 महिला सदस्यों में से 172 सदस्य ऐसे थे जो समूह में जुड़ने के पूर्व कोई बचत नहीं करते थे परंतु समूह में जुड़ने के पश्चात् इनकी संख्या कम होकर 25 हो गई है। यानी समूह में जुड़ने के पश्चात् बहुत कम महिला सदस्य ऐसे हैं जो एक भी राशि का बचत न करती हों। 2000 रूपये तक वार्षिक बचत करने वाले सदस्यों की संख्या सदस्यता के पूर्व 144 थी जो घटकर 30 हो गई है। 2000 रूपये से 4000 रूपये तक बचत करने वाले सदस्यों की संख्या 50 से घटकर 45 हो गई है। 4000 रूपये से 6000 रूपये तक बचत करने वाले सदस्यों की संख्या 18 से बढ़कर 84 हो गई है। 8000 रूपये तक बचत करने वाले सदस्यों की संख्या 7 से बढ़कर 90 हो गई है और 8000 रूपये से अधिक बचत करने वाले सदस्यों की संख्या 9 से बढ़कर 126 हो गई है। इस प्रकार महिलाएँ स्व–सहायता समूह से जुड़ने के पश्चात् क्रमशः अधिक बचत करने में सफल रहीं है।

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

महिला सदस्यों के वार्षिक व्यय में सुधार का विवरण (तुलनात्मक अध्ययन)

तालिकाः वार्षिक व्यय के आकार में सुधार का विवरण

वार्षिक व्यय का आकार	सदस्यता से पूर्व सदस्यों की संख्या	सदस्यता के पश्चात् सदस्यों की संख्या	आत्मविश्वासी महिलाओं की संख्या में परिवर्तन	सुधार
5000 से कम	25	6	-19	कमी
5000 से 10000	64	49	-15	कमी
10000 से 15000	90	92	2	वृद्धि
15000 से 20000	116	125	9	वृद्धि
20000 से 25000	66	69	3	वृद्धि
25000 से 30000	28	41	13	वृद्धि
30000 से अधिक	11	18	7	वृद्धि
कुल	**400**	**400**		

स्त्रोतः प्राथमिक सर्वेक्षण नवंबर दिसंबर 2022

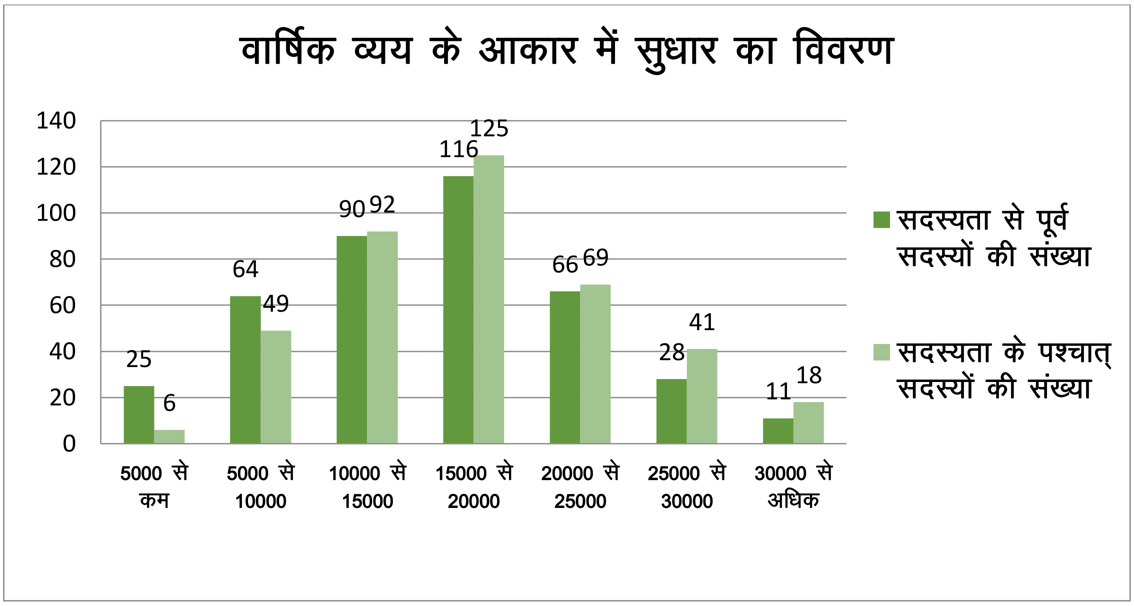

उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि समूह में जुड़ने के पश्चात् महिला सदस्यों की वार्षिक व्यय में तुलनात्मक अंतर आया है। पूर्व में महिला सदस्य 5000

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

रूपये तक के वार्षिक व्यय कर पाने में सक्षम थे अर्थात् 25 सदस्य ऐसे थे जो आय की कमी के कारण 5000 रूपये तक ही अपना वार्षिक खर्च कर पाते थे। समूह में जुड़ने के बाद इन महिला सदस्यों की संख्या में कमी देखा जा सकता है। यानी इन सदस्यों में नकारात्मक (–19) परिवर्तन आई है। इसी तरह 5000 से 10000 रूपये तक के वार्षिक व्यय करने वाले सदस्यों में भी नकारात्मक परिवर्तन (–15) आया है अर्थात् समूह में जुड़ने के पूर्व इन महिला सदस्यों की संख्या 64 थी जो समूह में जुड़ने के पश्चात् इनकी संख्या घटकर 49 हो गई है। 10000 रूपये से 15000 रूपये तक वार्षिक व्यय करने वाले महिला सदस्यों की संख्या में समूह में जुड़ने के पूर्व 90 थी जो समूह में जुड़ने के पश्चात् 92 हो गई है। वहीं 15000 रूपये से 20000 रूपये तक के वार्षिक व्यय करने वाले महिला सदस्यों की संख्या समूह में जुड़ने के पूर्व 116 थी जो समूह में जुड़ने के पश्चात् 125 हो गई है। 20000 रूपये से 25000 रूपये तक वार्षिक व्यय करने वाले महिला सदस्यों की संख्या समूह में जुड़ने के पूर्व 66 थी जो समूह में जुड़ने के पश्चात् 69 हो गई है। 25000 से 30000 वार्षिक व्यय करने वाले महिला सदस्यों की संख्या समूह में जुड़ने के पूर्व 28 थी जो समूह में जुड़ने के पश्चात् बढ़कर 41 हो गई है। 30000 रूपये तक के वार्षिक व्यय करने वाले महिला सदस्यों की संख्या समूह में जुड़ने के पूर्व 11 थी जो समूह में जुड़ने के पश्चात् 18 हो गई है। इस प्रकार तालिका से ज्ञात होता है कि महिला सदस्यों का समूह में जुड़ने के पश्चात् इनकी वार्षिक व्यय करने की प्रवृत्ति एवं आकार में सकारात्मक वृद्धि हुई है। अतः व्यय करने के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि या सुधार महिला सदस्यों के आय तथा उनके जीवन स्तर में सुधार का संकेत है।

महिला स्व–सहायता समूहों के संवर्धन हेतु चुनौतियां:

1. स्व–सहायता समूह समान रूचि, सामाजिक संस्कार, पृष्ठभूमि, समान व्यवसाय, एकरूपता और परस्पर बंधुत्व भाव के व्यक्तियों का समूह है किन्तु समूहों में उक्त

विशेषताओं से युक्त व्यक्तियों का चयन न होने से उनमें आपस में समन्वय व एकरूपता का अभाव होता है।

2. समूह के गठन अथवा संचालन में समय–समय पर विभिन्न वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा करना होता है। इस संबंध में सदस्यों की अशिक्षा बाधा के रूप में कार्य करती है।
3. स्व–सहायता समूह के गठन के उपरांत उन्हें समय–समय पर प्रशिक्षण, ऋण, तकनीकी, अधोसंरचना तथा बाजार की उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया जाता है।
4. गठित स्व–सहायता समूहों में से बहुत से समूह आगे चलकर निष्क्रिय हो जाते है। इस समूह का निष्क्रिय होने का मुख्य कारण सदस्यों में उद्यमिता व जागरूकता का अभाव होता है।
5. स्व–सहायता समूह में नियमित बैठक का प्रावधान है किन्तु गाँवों में गठित समूहों की बैठक हेतु स्थान की उपलब्धता की बड़ी समस्या होती है।
6. स्व–सहायता समूह की कार्यप्रणाली में एक–दूसरे के प्रति विश्वास समूह को जोड़े रखता है। समूह की अपनी आचार संहिता होती है किन्तु दीर्घकाल तक उसे बनाए रखना अथवा इनका पालन करना कठिन हो जाता है।
7. कभी–कभी राजनैतिक हित के लिए शासन की ऋण माफी नीतियाँ समूह के सदस्यों को नैतिक रूप से कमजोर बनाती है।
8. कुछ महिला स्व–सहायता समूहों में यह देखने में आया है कि इन संस्थाओं को दिया गया। फंड पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
9. स्व–सहायता समूह के गठन के उपरांत श्रेणीकरण, ऋण एवं अनुदान प्राप्ति एक कष्टकारक प्रक्रिया है।

महिला स्व–सहायता समूहों के संवर्धन हेतु सुझावः

शोध के दौरान अध्ययन क्षेत्र मुंगेली जिले में यह देखा गया कि स्व–सहायता समूहों द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं। सर्वेक्षण के उपरांत यह ज्ञात हुआ है

SIDDHANTA'S INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN ARTS & HUMANITIES
An International Peer Reviewed, Refereed Journal
Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–सहायता समूहों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ाया जा सकता है जो कि विकास की गति को तीव्र करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर सकते हैं परंतु फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविकता के धरातल पर अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है अर्थात् इस ओर अभी और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः महिला स्व–सहायता समूहों को विकास की ओर अधिक उन्मुख करने के लिए तथा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एवं महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये जा सकते हैं:–

1. ग्रामीण क्षेत्रों में स्व–सहायता समूहों के माध्यम से विकास की अपार संभावनायें हैं किन्तु इस ओर कई परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम लोगों की सोच में परिवर्तन होना अति आवश्यक है क्योंकि सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं पर ग्रामीणों को कम विश्वास होता है और वे इन योजनाओं को केवल सरकार की ही योजनाएँ समझते हैं, अपनी नहीं। इस प्रकार की सोच में परिवर्तन होना अति आवश्यक होगा।
2. अध्ययन क्षेत्र में यह भी देखा गया है कि अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर निम्न है जो कि विकास के मार्ग में अवरोधक तत्व है। समूहों में आने वाले सदस्यों का शैक्षिक होना अति आवश्यक है। अतः समूह का गठन करने से पहले इस बात का ध्यान देना आवश्यक है कि उस समूह में कम से कम 4–5 महिला सदस्यों का शैक्षिक होना आवश्यक है जिससे कि समूह में होने वाली प्रत्येक गतिविधियों का सदस्यों को जानकारी हो तथा वे अन्य सदस्यों का मार्गदर्शन कर सके इसलिए सदस्यों का पढ़ा लिखा होना आवश्यक होगा।
3. चयनित सभी विकासखण्डों में स्व–सहायता समूहों द्वारा मासिक बचत बहुत कम की जाती है। अतः बचत की राशि को 2 से 10 गुना तक बढ़ाना चाहिए जिससे की आवश्यकता पड़ने पर महिलाओं को बचत राशि को किसी कार्य को करने के

लिए उपयोग में लाने हेतु सरलता होगी व उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी जिससे महिला सशक्तिकरण में भी अधिक सुधार होगा।

4. स्व–सहायता समूह की सहायता के लिए परियोजना प्रतिवेदन बनाते समय प्रशिक्षण, ऋण , तकनीक, अधोसंरचना तथा बाजार की उपलब्धता आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। परियोजना बनाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि एक समय में एक ही आर्थिक कार्यकलाप में आवश्यकता से अधिक समूह ना आ जाए।
5. अध्ययन क्षेत्र में स्व–सहायता समूहों द्वारा कई अभियान (स्वास्थ्य, शराबबंदी, बालिका शिक्षा आदि) जिसमें समूहों द्वारा महिलाओं को समझाया गया है एवं उन्हें परिवर्तन के लिए तैयार किया गया है एवं अभी समूहों द्वारा अभियान के रूप में चलाए जाने की आवश्यकता है। शासन द्वारा इन समूहों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।
6. अध्ययन क्षेत्र में समूह की महिलाओं द्वारा रोजगार के कई साधनों का उत्पादन किया गया है जैसे– सब्जी उत्पादन, डेयरी, वृक्षारोपण, फसल उत्पादन, अचार बनाना, अगरबत्ती बनाना आदि अन्य कई प्रकार की जड़ी–बूटियों का उत्पादन कर रोजगार के अवसरों को बढ़ाया गया है किन्तु यहाँ पर सरकार द्वारा समूहों की महिलाओं की कोई सुध नहीं ली गई और न ही सरकार द्वारा इनकों कोई सहायता प्राप्त हुई। कोई भी सरकारी कार्यकर्ता निरीक्षण करने नहीं पहुँचते हैं जिसके कारण यहाँ लोगों के उत्साह में वृद्धि होने से रूक जाता है जो कि विकास के मार्ग में अवरोधक हैं तथा इन लोगों का उत्पादन यहीं बेकार चला जाता है और इस प्रकार सशक्तिकरण की कल्पना मात्र भी बेकार है। शासन को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे की ये लोग आत्मनिर्भर बन सके।
7. अध्ययन क्षेत्र में समूह में आकर महिलाओं द्वारा पूर्व की अपेक्षा बचत करने की क्षमता में वृद्धि हुई है। स्व–सहायता समूह के जाल को और अधिक फैलाया जाए तो और अधिक क्षेत्रों में बचत की प्रक्रिया को उजागर किया जा सकता है

Vol. 2, Issue 1, September-October 2024 Impact Factor : 6.8 ISSN(O) : 2584-2692
Available online : https://sijarah.com/

जिससे कि ये लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सके जो कि स्व–सहायता समूहों के माध्यम से संभव हो सकता है।

8. चयनित सभी विकासखण्डों में मुख्य आर्थिक कार्यकलापों के लिए एक मॉडल परियोजना रिपोर्ट को क्षेत्रीय बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के मार्गदर्शन में तैयार करवाकर रखा जाना चाहिए तथा उसी के अनुसार कार्यकलापों का चयन, समूह का गठन, ऋण वितरण आदि कार्य किये जाने चाहिए।
9. पंचायत स्तर पर उत्पादन सह प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए।
10. समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु शासन द्वारा मेले व प्रदर्शनियों का आयोजन जिला स्तर के अलावा तहसील स्तर पर भी किया जाना चाहिए।
11. गैर सरकारी संस्थानों को अभिप्रेरित किया जाना चाहिए कि वे संस्थाएँ अपने क्षेत्रों में समूह के गठन को बढ़ावा दें तथा उनके विकास से संबंधित योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित करें।
12. स्व–सहायता समूहों के गाँवों का सबसे प्रमुख समस्या यातायात की असुविधा है। क्षेत्र के अधिकांश गाँव अभी भी मोटर मार्गों से नहीं जुड़ पाये है जिसके कारण यहाँ उत्पादित की गई ऊपज को बाजारों तक पहुँचाने में काश्तकारों को बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण समूह अपने उत्पादित वस्तुओं एवं फसलों को बेचने के प्रति निराश हो जाते हैं।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक स्थिति पर महिला स्व–सहायता समूह की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन मुंगेली जिले के विशेष संदर्भ में विषय पर अध्ययन करते हुए अध्ययन क्षेत्र के उत्तरदाताओं से उनके समूह के आकार, जाति, आयु, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य, निवास, परिवार का स्वरूप, सदस्यों की संख्या, उनकी मासिक आय, वार्षिक बचत, व्यय, ऋण, रोजगार, सामाजिक एवं

आर्थिक सहभागिता तथा शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता आदि से संबंधित जानकारी एकत्र करके विश्लेषण किया गया है।

स्व–सहायता समूह में जुड़ने के पश्चात् समूह की महिलाओं की मासिक आय में सार्थक परिवर्तन आया है अर्थात् इन सदस्यों की मासिक आय में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि इनकी आर्थिक स्थिति में सार्थक परिवर्तन एवं सुधार हुआ है।

स्व–सहायता समूह में जुड़ने के पश्चात् समूह की महिलाओं की वार्षिक व्यय की प्रवृत्ति में सार्थक परिवर्तन आया है अर्थात् महिला सदस्यों की वार्षिक व्यय में वृद्धि हुई है।

स्व–सहायता समूह में जुड़ने के पश्चात् समूह की महिलाओं की वार्षिक बचत की प्रवृत्ति में सार्थक परिवर्तन आया है जो यह सिद्ध करता है कि इन महिला सदस्यों की आर्थिक स्थिति में सार्थक परिवर्तन एवं सुधार हुआ है।

संदर्भ ग्रंथ सूचीः–

पुस्तकें –

- डॉ० दिनेश कुमार विश्वकर्मा (2017), 'ग्रामीण समाज में महिला सशक्तिकरण' जे०टी०एस० पब्लिकेशन, पृष्ठ क्र० 22
- डॉ० नवीन कुमार (2015) 'सामाजिक परिवर्तन में स्व–सहायता समूह की भूमिका' बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, पटना, पृष्ठ क्र० 1
- महंत सर्वेश्वर दास (2013), 'भारतीय समाज में नारी' ग्रंथालय रायपुर पृष्ठ क्र० 122
- त्रिपाठी, मधुसूदन (2011) 'भारत में महिला श्रमिक' खुशी पब्लिकेशन, गाजियाबाद, पृष्ठ क्र० 24

- निशांत सिंह (2011), 'स्त्री सशक्तिकरण एवं मूल्यांकन' खुशी पब्लिकेशन, गाजियाबाद, पृष्ठ क्र० 17
- सेतिया, सुभाष (2009), 'ग्रामीण महिलाओं का गौरव—स्व—सहायता समूह', कुरूक्षेत्र, अंक—3, पृष्ठ क्र० 20
- छत्तीसगढ़ मंथन लेख (2001), 'छत्तीसगढ़ का प्रागैतिहासिक काल' पृष्ठ क्र० 5
- डॉ० पी०एल० मिश्रा, लेख 'छत्तीसगढ़ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि' पृष्ठ क्र० 13
- डॉ० भगवान सिंह वर्मा, 'छत्तीसगढ़ का इतिहास' पृष्ठ क्र० 288
- नई सहस्त्राब्दी महिला सशक्तिकरण अवधारणा, चिंतन एवं सरोकार, भाग—2, पृष्ठ क्र० 184

शोध पत्र—

- डॉ० सुजाता सैमुअल, डॉ० सपना कौर (2018), 'ग्रामीण महिलाओं के विकास में स्व—सहायता समूहों के संघों की भूमिका' शोध—धारा जर्नल ऑफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोशल साईंस, Vol-2, PP-181-184
- श्रीमती करूणा गायकवाड, (2018) 'राष्ट्र विकास में नारी की भूमिका', शोध—धारा जर्नल ऑफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोशल साईंस, Vol-2, PP-177-180
- अनिल कुमार सिंह (2018), 'नारी शिक्षा और राष्ट्र का विकास', शोध—धारा जर्नल ऑफ ह्युमैनिटीज एण्ड सोशल साईंस, Vol-2, PP-218-220